

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
पत्रांक:- 864 / FP/UK/MIN/20542/2016 दिनांक: देहरादून 07 सितंबर, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0,  
देहरादून।

विषय:- जनपद-देहरादून में झाझास रेंज के अन्तर्गत, स्वारना नदी से उप खनिज चुगान, खनन के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा, के पत्रांक 705/12-1 दिनांक 29-08-2016 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित प्रेषित की जा रही है।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	Name of the projects is not mentioned at designated place in online Part I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपत्ति का ऑनलाईन निराकरण कर दिया गया है।
2	Short narrative of the Projects does not give any information except the purpose.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपत्ति का ऑनलाईन निराकरण कर दिया गया है।
3	Village wise breakup of land is not given at designates place in online Part-I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ग्रामवार संशोधित सूचना अपलोड कर दी गई है।
4	Component wise breakup is not given '0' is mentioned is component column.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित सूचना अपलोड कर दी गई है।
5	Geo-referenced map is provided in google earth image an only 4geo-coordinats are given which is not sufficient.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मानचित्र अपलोड कर दिया गया है।
6	DSS Analysis of the forest land proposed for diversion shows the area as 104.46 ha instead of 23.75 ha.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का संशोधित सही मानचित्र अपलोड कर दिया गया है।
7	Area show in map appears to be surrounded by agriculture land and human habitations but, no village wise breakup of land is given. Moreover, it is stated to be the re land.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित सूचना अपलोड कर दी गई।
8	Justification for locating the project in forest land is not pening.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित सूचना अपलोड कर दी गई।

*fc*


9	C/B Analysis uploaded in online part-I is not opening. In hard copy also the parameters have not been quantified and expressed in monetary terms.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित सूचना अपलोड कर दी गई।
10	In FRA certioned but Gram Sadha proceedings of 4 villages are mentioned but Gram Sadha proceedin of 2 villages only sudmitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना क्षेत्र में तीन गाँव राजवाला, रामपुर, भाऊवाला तथा रामपुरकला स्थित हैं, जिनसे संबंधित सूचना अपलोड कर दी गई है।
11	Estimated reserve of RBM is mentioned as 2,16,000 milllion tones in online Part-I but mining plan says the 2,16,000 metric tones will be extracted annually for years, Moreover, estimated reserve is mentioned as 21,60,000 million tones in online Part-I. in Para-M 7.1(x) of online Part-I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वांछित सूचना अपलोड कर दी गई।
12	Proposed use of minerals is not mentioned in Para-M 7.1(x) of online Part-I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित सूचना अपलोड कर दी गई।
13	No transplantation Plan is submitted in Para M-7(ii) of online Part-I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ट्रांसप्लान्टेशन से संबंधित सूचना ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।
14	District wise area is not given in online Part-II.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित सूचना यथास्थान अपलोड कर दी है।
15	WP prescription is not given in online Part-II.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्ययोजना की संस्तुतियां यथास्थान अपलोड कर दी हैं।
16	Approximate distance is mentioned as 0.00km in online Part -II.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल आरक्षित वन का भाग हैं, जिसकी दूरी सही दी गई है।
17	Details of WL is not given in online Part II.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन्य जीवों से संबंधित सूचना यथास्थान अपलोड कर दी है।

fel



18	Geo referenced map for CA is submitted in google earth image with 4 geo-coordinates only which does not appears to be sufficient. DSS Analysis shows the area as 87.69 ha instead of 48.00ha. Further, 27ha area falls in Moderately Dense Forest (MDF) category.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित सूचना यथास्थान अपलोड कर दी है।
19	In Para-14 of online Part-II (District Profile), CA stipulated is not commensurate to the forest Land diverted.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि 9366.00 है0 के सापेक्ष प्रभाग द्वारा 2355.56 है0 क्षेत्र में रोपण किया जाना है, अद्यतन स्थिति तक प्रभाग द्वारा कुल 1074.73 है0 क्षेत्र में रोपण किया गया है शेष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में आवश्यक प्राविधान किये गये हैं, जिन्हे प्राथमिकना के आधार पर पूर्ण किया जायेगा।
20	Patch wise details of CA area is not filles up in Para-13(i) of online Part-II.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित सूचना यथास्थान अपलोड कर दी हैं।
21	Consent of Gram Sabha is not submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संबधित ग्रामवासियों की सहमति पत्र प्रस्ताव में वन अधिकारी अधिनियम के साथ संलग्न की है।
22	Details of Safety Zone as per para -4.7 of the guidelines and Ministry's letter No-11-125/2014-FC dated 27.02.2016 has not been submitted with the proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सेपटी जोन से संबधित के0एम0एल0 फाइल एवं तत्संबधी मानचित्र यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,  


(एस0टी0एस0 लेप्चा)  
 प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी





Phone & Fax no. 0135-2658294

E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

# कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 564 / 12-1 दिनांक, देहरादून 02 सितम्बर, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- झांझरा रेंज के अन्तर्गत स्वारना नदी से उप खनिज चुगान की अनुमति से संबंधित ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UK/MIN/20542/2016 की आपत्तियों के संबंध में।

संदर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून की पत्र सं० 371 कैम्प/12-1 दिनांक 01.09.2016 महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर इस कार्यालय स्तर से अपेक्षित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	Name of the project is not mentioned at designated place in online Part-I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपत्ति का ऑनलाईन निराकरण कर दिया गया है।
2	Short narrative of the project does not give any information except the purpose.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपत्ति का ऑनलाईन निराकरण कर दिया गया है।
3	Village wise breakup of land is not given at designated place in online Part-I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ग्रामवार संशोधित सूचना अपलोड कर दी गई है।
4	Component wise breakup is not given. '0' is mentioned in component column.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित सूचना अपलोड कर दी गई है।
5	Geo-referenced map is provided in google earth image and only 4 geo-coordinates are given which is not sufficient.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मानचित्र अपलोड कर दिया गया है।
6	DSS Analysis of the forest land proposed for diversion shows the area as 104.46 ha instead of 23.75 ha.	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का संशोधित सही मानचित्र अपलोड कर दिया गया है।
7	Area shown in map appears to be surrounded by agriculture land and human habitations but, no village wise breakup of land is given. Moreover, it is stated to be the RF Land.	संशोधित सूचना अपलोड कर दी गई है।
8	Justification for locating the project in forest land is not opening.	प्रयोक्ता एजेन्सी ने संशोधित सूचना अपलोड कर दी है।
9	C/B Analysis uploaded in online Part-I is not opening. In hard copy also the parameters have not been quantified and expressed in monetary terms.	प्रयोक्ता एजेन्सी ने संशोधित सूचना अपलोड कर दी है।
10	In FRA certificate issued by DC name of 4 villages are mentioned but Gram Sabha proceedings of 2 villages only submitted.	परियोजना क्षेत्र में तीन गाँव राजवाला, रामपुर भाऊवाला तथा रामपुरकला स्थित हैं, जिनसे संबंधित सूचना अपलोड कर दी गई है।



क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
11	Estimated reserve of RBM is mentioned as 2,16,000 million tones in online Part-I but mining plan says that 2,16,000 metric tones will be extracted annually for 5 years. Moreover, estimated reserve is mentioned as 21,60,000 million tones in online Part-I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वांछित सूचना अपलोड कर दी गई है।
12	Proposed use of minerals is not mentioned in para- M-7.1(x) of online Part-I.	प्रयोक्ता एजेन्सी ने संशोधित सूचना अपलोड कर दी है।
13	No transplanted plan is submitted in para-M-7(ii) of online Part-I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ट्रांसप्लान्टेशन से संबंधित सूचना ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।
14	District wise area is not given in online Part-II.	संशोधित सूचना यथास्थान अपलोड कर दी है।
15	WP prescription is not given in online Part-II.	कार्ययोजना की संस्तुतियां यथास्थान अपलोड कर दी हैं।
16	Approximate distance is mentioned as 0.00 km in online Part-II.	प्रस्तावित स्थल आरक्षित वन का भाग है, जिसकी दूरी सही दी गई है।
17	Details of WL is not given in online Part-II.	वन्य जीवों से संबंधित सूचना यथास्थान अपलोड कर दी है।
18	Geo referenced map for CA is submitted in google earth image with 4 geo- coordinates only which does not appears to be sufficient. DSS Analysis shows the area as 87.69 ha instead of 48.00 ha. Further, 27 ha area falls in Moderately Dense Forest (MDF) category.	संशोधित सूचना यथास्थान अपलोड कर दी है।
19	In para-14 of online Part-II (District profile), CA stipulated is not commensurate to the forest land diverted.	देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि 9366.00 है० के सापेक्ष प्रभाग द्वारा 2355.56 है० क्षेत्र में रोपण किया जाना है अद्यतन स्थिति तक प्रभाग द्वारा कुल 1074.73 है० क्षेत्र में रोपण किया गया है शेष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में आवश्यक प्राविधान किये गये हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा।
20	Patch wise details of CA area is not filled up in para-13(i) of online Part-II.	संशोधित सूचना यथास्थान अपलोड कर दी है।
21	Consent of Gram Sabha is not submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संबंधित ग्रामवासियों की सहमति पत्र प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम के साथ संलग्न की है।
22	Details of Safety Zone as per para-4.7 of the guidelines and Ministry's letter No.- 11- 125/2014-FC dated 27.05.2016 has not been submitted with the proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सेफ्टी जोन से संबंधित के०एम०एल० फाइल एवं तत्संबंधी मानचित्र यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

वन संरक्षक,

शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।